राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, शाहपुरा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2024 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री नन्दकिशोर कुमावत पुत्र गोवर्धन लाल कुमावत निवासी फूलियाकलां, तहसील फूलियाकलां, जिला शाहपुरा। बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा।
2. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा।

——अपीलार्थी

——प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 26.2.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा के विरूद्ध दिनांक 12.01.2024 को प्राप्त हुआ। जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 60 एफ 548695 के साथ एक आवेदन दिनांक 06.12.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा को प्रेषित किया गया, किन्तु आवेदन में वांछित सूचना के कुछ बिन्दु संख्या 2 व 3 लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां से संबंधित होने से उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा द्वारा अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां को अंतरित कर दिया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.01.2024 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 01 लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा द्वारा कार्यालय के पत्रांक सू.का.अ./2024/10 दिनांक 20.02.2024 से जवाब प्राप्त हुआ।

3. प्राप्त जवाब के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र के बिन्दु संख्या 01 में वांछित सूचना कार्यालय जिला कलक्टर शाहपुरा के पत्रांक आरटीआई/2024/07 दिनांक 31.01.024 द्वारा अपीलार्थी को जरिये ई–मेल उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही अवगत कराया गया कि आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 02 व 03 से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा से संबंधित होने के कारण अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां को अंतरित कर दिया गया है।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

4. प्रत्यर्थी संख्या 02 लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला शाहपुरा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई/2024/78 दिनांक 19.02.2024 से जवाब प्राप्त हुआ।

5. प्राप्त जबाव के अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र के बिन्दु संख्या 02 व 03 में वांछित सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां के पत्रांक क्रमशः आरटीआई/2024/42 दिनांक 08.02.2024 एवं आरटीआई/2024/27 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है।

6. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील में अब अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

7. आदेश आज दिनांक 26-2.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

26/2/24
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
शाहपुरा
जिला कलक्टर
शाहपुरा

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)
सत्यमेव जयते